

कार्यालय नगर पंचायत तिवार्गंज- जनपद-कन्नौज

(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2025 प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं 2 सन 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत तिवार्गंज कन्नौज जिस उपविधि के बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचीना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुचाव आमंत्रित करने की वृटिट के लिए द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियों और सुचाव, यदि कोई हो, अधिकारी अधिकारी नगर पंचायत तिवार्गंज को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

नगर पंचायत तिवार्गंज (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025

| | |
|-------------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम वित्तान और प्रारूप | 1 (1) यह उपविधि नगर पंचायत तिवार्गंज (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 कही जायेगी। (2) यह नगर पंचायत तिवार्गंज में लागू होगी। (3) यह गणराज में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
|-------------------------------------|--|

| | |
|-----------|--|
| परिभाषाएं | 2 (1) जब तक विषय या सार्वनाम में कोई वात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में— (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है। (ख) 'आवादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अधिकारीयों में आवादी के रूप में अभिलिखित हो जिसका उपयोग नगर पंचायत तिवार्गंज सीमा में उसके क्षेत्र के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धीय प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो। (ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है। (घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है। (ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी मूल्य या वैश्वानिक विद्युत के लिए जाने वाले सामान्य कर भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है। (ज) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरामित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमसः समनुदेशित हों। |
|-----------|--|

| | |
|--|--|
| निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण | 3 (1) अधिनियम 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पंचायत कार्यालय में जमा प्रमाणांकूत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उत्तर अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्ध भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा। (2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणांकूत होने के पश्चात किसी कारणवश काराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा। (3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के स्थान पर किसी व्यक्ति की नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकती है— (एक) पंजीकृत विभाग पत्र द्वारा, (दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा, (तीन) पंजीकृत वान-पत्र द्वारा, (चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा, (पांच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा। (ख) किसी सम्पत्ति के अधिकारी के स्थान पर किसी व्यक्ति की नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकती है— (एक) नार पंचायत सीमा में नव सम्मिलित आवादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति, (दो) गैर जर्मीदारी उन्मूलन (नान जेडएर) क्षेत्र की सम्पत्ति, (तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो, (चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी। (4) (क) सम्पत्ति के त्रृटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा। (ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि पश्चात किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकती है— (एक) वर्तमान वार्षिक प्रपत्र के लिए दायी हो गया है तो उसमें किए गये सुधार की प्रविष्टि कर दबुनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्ट करेगा। (2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पंचायत को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा। (ख) आवेदक नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो ₹ 100.00 प्रति आवेदन होगा, का यथासम्भव अँनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अधिकारीयों को उपलब्ध करायेगा। |
|--|--|

| | |
| --- | --- |
| सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया | 4 (1) कियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वामित्व निर्धारण कर के सम्पत्ति की धनराशी नगर पंचायत द्वारा यथा निर्विद्य॑ बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पंचायत के अधिकारीयों द्वारा उक्त कार्यालय या अध्यासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी कार्यालय में जमा कर सकता है। नगर पंचायत के अधिकारीयों द्वारा उक्त कार्यालय या अध्यासी अधिकारी द्वारा इस निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के निमित्त अपेक्षित प्रविष्टि यानि निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त अपेक्षित प्रविष्टि यानि निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त अपेक्षित प्रविष्टि यानि निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त अपेक्षित प्रविष्टि यानि निर्धारण सूची के |

न्यूज ब्रीफ

चिंता नहीं, चिंतन करें



संवाददाता, पौथिया (हमीरपुर)

अमृत विचार। पौथिया गांव स्थित एकल पेयजल योजना के नलकूप की केबिल, स्टार्टर व मोटर खराब होने से तीन दिनों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे लोग हैंडपंपों में घंटों लाइन लगाकर पानी भरकर प्यास बुझा रहे हैं।

सुमेरपुर विकास खंड के बड़ी आबादी वाले पौथिया गांव स्थित जल निगम से संचालित एकल पेयजल योजना की पानी की टंकी से पूरे गांव को पानी आपूर्ति की जाती है। सोमवार को शाम नलकूप की केबिल, स्टार्टर व मोटर खराब हो जाने के कारण लोगों को पेयजल संकट से जूझाना पड़ रहा है। लोग घंटों हैंडपंप से पानी के लिए लाइन में खड़े होकर पानी ले रहे हैं।

वहीं ग्राम प्रशान प्रतिनिधि आशीष सचान ने कई मोहल्ले में टैकर भेज कर पानी मुहैया करा रहे हैं। ग्रामीण

• अमृत विचार



जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे जखेड़ी के ग्रामीण।

अमृत विचार

पौथिया में सबमासिबल पानी से पानी भरने के लिए लगी भीड़।

अमृत विचार

जखेड़ी गांव के लोगों ने डीएम से मांगा पानी

■ हमीरपुर। पेयजल समर्थन से परेशान सीरीला तहसील के जखेड़ी गांव के लोगों ने खुबावार को कलेक्टर में प्रदर्शन कर डीएम के नाम डिटी कलेक्टर को ज्ञापन सेप। जखेड़ी के मोर्ग कुमार, अशीष कुमार, अर्जुन सिंह, विपिन कुमार, कमल विश्वार आदि ने ज्ञापन में बताया कि गांव में पानी की टंकी दो वर्षों से संचालित है। वर्तमान में 40 प्रतिशत घरों में पानी पहुंच रहा है। 10 प्रतिशत लोगों के घरों में कानूनी नहीं हुआ है। उन्होंने पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

प्राइवेट स्कूल में गिरा बिजली का खंभा

मोदह। बुधवार एक रुकू में अचानक बिजली का जर्जर खंभा गिर गया। हालांकि खंभा छत से ही टिक गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कर्से के मोहल्ला मराठीपुरा रिस्त मां गायत्री शिशु मंदिर के सामने लाला बिजली का खंभा आवाक गिरकर खुल की छत पर गया। राहत की बात यह ही कि, जिस समय खंभा गिरा उस समय वहें क्षक्षाओं में पढ़ रहे थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। खंभा गिरने की खबर से जीसे ही दूकप पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की बात नहीं थी। उन्होंने एक पहुंच कर खंभा सही करना का काम शुरू कर दिया है। जबकि बिजली विभाग की इस बड़ी लापरवाही पर कोई भी जिमेदार अधिकारी कुछ शब्दों से बच रहे हैं।

गौशाला में मवेशियों को नोच रहे कुत्ते

पौथिया। सुमेरपुर विकासखंड के सहरपुर-गौशाला में अनांना मवेशी बद है। उन्हीं से टोटों सेट के नीचे एक पशु की मौत हो जाने से कुत्ते उसे नोच-नोच कर खा रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि खुबावार की सुख सात बातों से दौहराए के बजे तक मरे पहुंच पशु को उठाने की किसी जिमेदारी के बावजूद एवं चरवाहों के नहीं समझा। वहीं मरे पहुंच पशु की बदबू से विलाय के छात्र आग्रा एवं शिक्षक प्रशंसन है। पड़ोसी नाम से जुधने की बात कहकर बताया है कि प्रशंसा के उन्होंने खाता खाता जारी रखा है। और उन्होंने खाता खाता जारी रखा है।

दरवाजे पर बैठे युवक को लाठियों से पीटा

राठ। कोतवाली क्षेत्र के इटाइल गांव में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति ने घर के दरवाजे पर बैठे युवक के साथ गाली गोली करते हुए लाटी ढंगों से युवक को दरवाजे पर बिटाई कर दी।

दरवाजे पर बैठे युवक को लाठियों से पीटा

राठ। कोतवाली क्षेत्र के इटाइल गांव में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति ने घर के दरवाजे पर बैठे युवक के साथ गाली गोली करते हुए लाटी ढंगों से युवक को दरवाजे पर बिटाई कर दी।

उन्होंने युवक को लाठियों से पीटा।

</div

न्यूज ब्रीफ

पुत्र ने मां को बिना

बताए बेचा मकान

महोबा। भरवारा गांव में एक पुत्र ने

माँ को बिना बाता मकान बेचकर

मिले पैसों से अपने एक साथी के

साथ बकरी खरीद के करोबर में

लगा दिया और शेष पैसा अपनी

मोसी के पास रख दिया। जब पीड़िता

इसका विरोध किया, जिस पर पुत्र

उपरोक्त लोगों ने गाली गलौज

करते हुए पूरे मकान में कब्जा कर

लिया। पीड़िता ने जिलाधिकारी को

शिकायती पत्र देकर रायय की गुहर

लगाई है। पनवाड़ी थाना के भरवारा

गांव नियासी पत्री पनीर मसिह

ने डांड़ा के दिले शिकायती पत्र में

बताया कि गांव के खुंबुद्वारे उसके

पुत्र के साथ मिलकर उसके पुस्तीनी

मकान को बेचकर बकरी खरीद ली

और शेष रुपये एक पांच मासी

की दौड़ी के दिले दिले दिले

किया और उनके पुत्र जगतनाथ ने

जानी चौंकी उसे कोई जानकारी नहीं

हुई और जब मासूम चला तो इसका

विरोध करने पर उपरोक्त लोगों ने

गाली गलौज कर जबरन पूरे मकान

पर कर्किणी लिया। बताया कि उसने

ईद बाज आपने पुत्र का समझाने की

कोशिश की लिया। लेकिन वह कोई बात

सुनने को तेवर नहीं है। पीड़िता

कारवाई की मांग की है।

कैप के जरिए वसूले

2.32 लाख रुपये

महोबा। विनु बिल राहत योजना

के तहत रिहाई गांव में शिविर का

आयोजन किया गया, जहां पर

विजिली उपभोक्ताओं से दो लाख

रुपये से ज्यादा बिल के रूप में

राजस्व वसूला गया। शिविर में

ग्रामीणों की योजना के तहत दिए जा

रहे ताप के बातों को समझाने की

कोशिश की लिया। लेकिन वह कोई

बात नहीं कहता है।

पीड़िता और अन्य लोगों ने शिविर

दौरान बताया कि स्टरकर की इस

योजना के तहत 31 दिसंबर तक

विजिली उपभोक्ता बकाया बिल का

भगुतान कर कर्किणी सकते हैं साथ

में मूलधन पर भी उपभोक्ताओं को

25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा

रही है। बताया कि विजिली घोरी के

मामलों में राजस्व विर्भारण पर भी 50

प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

शिविर

के मोके पर टीम ने 2.32 लाख

रुपये का उपभोक्ता ऑंसे राजस्व

वसूला गया। इसके पर अहमद

खां, राकेश यादव, अजय कुशवाहा,

राजेश दिल्लिया, सतीश सैन, संतोष

विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।

चांदीली गांव में निवासी शिवप्रसाद

के कच्चे घर में अचानक आग लगा

गई। उसकी शादी के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

के बिंदुओं के लिए लिया गया दहेज

का बदला दिया। अपनी जद में

पहाड़ के लिए खरीदा

तो देखते ही पर देखते आग ने

उग्र रूप धारण कर पूरे मकान को

अपनी जद में ले लिया। आग लगाते

ही परिजनों ने चीख-पूकार मचाते

हुए घर से बाहर निकलकर अपनी

जानवारों के अलावा उपरी

